सुलखान सिंह
आई0पी0एस0

परिपत्र संख्याः डीजी– 45 /2017

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलकमार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकः दिसम्बर 29,2017

प्रिय महोदय,

पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या से आप सभी भलीभॉति अवगत है। स्वच्छ पर्यावरण जीवन का मुख्य आधार है। शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या स्वॉस एवं रक्तचाप सम्बन्धी अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बन रही है। घनी आबादी के पास एकत्रित कचरे के ढेर जिनमें प्लास्टिक के अपशिष्ट पदार्थों की बहुतायत होती है, के जलाये जाने के अनेक मामलें प्रायः प्रकाश में आते रहते है, इससे उठने वाले जहरीले धुएँ से वायुमंडलीय पर्यावरण गंभीर रूप से प्रभावित होता है, जिसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव मानव एवं अन्य जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।

प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण संतुलन की पुर्नस्थापना हेतु सरकारी एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। इसमें भारी मात्रा में राजकीय धन भी व्यय हो रहा है, परन्तु पर्याप्त जागरूकता के अभाव में लोग जाने–अनजाने कूड़े–कचरे को जलाकर सफाई करने का प्रयास करते है। संभव है कि इससे उत्पन्न धुएँ के खतरनाक परिणाम से सभी लोग भलीभॉति अवगत न हो, परन्तु देश–विदेश स्तर पर इस सम्बन्ध में हो रही चर्चा एवं मीडिया से कोई भी व्यक्ति अनभिज्ञ नहीं होगा, फिर भी प्लास्टिक अपशिष्ट के जलाये जाने से उत्पन्न धुएँ के खतरनाक परिणाम से जनमानस को जागरूक किया जाना समीचीन होगा।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा दिल्ली और आस–पास के इलाकों में फसल या अन्य अपशिष्ट पदार्थ जलाये जाने को प्रतिबन्धित किया है और आदेश का उल्लघंन किये जाने पर भारी जुर्माना अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में भी इस आशय की याचिकाएं योजित की गयी हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा अधिपत्रित (Guaranteed) "जीवन के अधिकार" की परिकल्पना बिना स्वच्छ पर्यावरण के नहीं की जा सकती है। अतः राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह जनता को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्य करें। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

प्लास्टिक अपशिष्ट को न्यूनतम करने, स्रोत पर पृथक्करण, पुनःचक्रण पर बल देने के लिए घरों से अथवा इसके जनन के किसी अन्य स्रोत से अथवा मध्यवर्तीय सामग्री प्राप्ति सुविधा से प्लास्टिक अपशिष्ट के टुकडों के संग्रहण से अपशिष्ट बीनने वालों, पुनःचक्रों और अपशिष्ट संसाधनों को सम्मिलित करते हुए अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 विनिर्मित किया गया है, जो 18 मार्च 2016 से प्रभावी है।

उक्त अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के नियम 6 में स्थानीय निकाय तथा नियम 07 में ग्राम पंचायत का दायित्व है कि यह सुनिश्चित करें कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में न जलाया जाये।

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण हेतु पुलिस द्वारा पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम [illegible] धारा 15, 16 व 17 एवं भा0द0सं0 की धारा 278, 290, 291 तथा पुलिस अधिनियम 1961 की [illegible] के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि वृहत लोकहित में एवं लोक स्वास्थ्य [illegible] दृष्टिगत प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों को जलाये जाने की घटना को रोकने हेतु [illegible] विधिक प्राविधानों के यथोचित प्रयोग हेतु अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को [illegible] करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुलखान सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक प्रभारी, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।